कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, अपराध शाखा,, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक :– न–5( )पु.अ./संस्था/2012/7849–55 दिनांकः– 03.12.2012

–ः विज्ञप्ति ः–

कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, अपराध शाखा, राजस्थान, जयपुर के अधीनस्थ विभिन्न कार्यालयों में सीधी भर्ती हेतु राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्ते) नियम–1999 के प्रावधानों के अन्तर्गत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (केनलबॉय) के एक (01) सामान्य वर्ग के रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आंमत्रित किये जाते है, इनमें महिला अभ्यर्थियों को भी नियमानुसार आरक्षण देय होगा। इन पदों पर उक्त रिक्त पद की रनिंग पे बैंण्ड–1 एस 4750–7440 ग्रेड पे 1300 है, लेकिन राजस्थान सरकार के नोटिफिकेशन नं0 F/11(7)FD(Rules)/2008 दिनांक 12–9–08 के अनुसार प्रोबेशन काल की दो वर्ष की अवधि के लिए उक्त पदों का नियत फिक्स मानदेय रू 4850/–(चार हजार आठ सौ पचास रूपये) प्रतिमाह देय होगा। विज्ञप्ति का विस्तृत विवरण राजस्थान पुलिस की वेबसाईट www. police.rajasthan.gov.in से प्राप्त की जा सकती है।

01. **<u>आयु :–</u>**

आवेदक की आयु दिनांक 01.01.2013 को 18 वर्ष से कम तथा 33 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। राज्य कर्मचारी, भूतपूर्व सैनिक, अनुसूचित जाति/जनजाति/महिला आदि वर्ग को आयु सीमा में नियमानुसार छूट देय होगी।

02. **शैक्षणिक योग्यता :–**

अभ्यर्थी को किसी राजकीय अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त स्कूल से कम से कम पांचवी कक्षा उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिऐ तथा देवनागरी लिपि में हिन्दी का व्यावहारिक ज्ञान एवं पद कार्य का अनुभव होना चहिए।

03. **शारीरिक योग्यताः–**

आवेदक का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए तथा उसमें ऐसा कोई मानसिक एवं शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जो उसके सेवा के सदस्य के रूप में अपना कर्तव्य दक्षता पूर्वक सम्पादित करने में बाधक हो। नियुक्ति के समय आवेदक को सक्षम चिकित्सा अधिकारी का इस आशय का प्रमाण पत्र. प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

04. **पेंशन योजना एवं स्थाई पारितोषण :–**

नियुक्ति हेतु योग्य पाये जाने वाले अभ्यर्थी की प्रोबेशन अवधि समाप्ति के पश्चात राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक F15(07)(FD)(नियम)97 दिनांक 14–01–2004 तथा F13(1)(FD)(नियम) दिनांक 20–08–2005 के अन्तर्गत नवीन अंशदायी पेंशन योजना के सभी नियम लागू होंगे। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 13.03.2006 के अन्तर्गत नियुक्ति योग्य पाये गये अभ्यर्थी पर नवीन अंशदायी पेंशन योजना, मेडीकल अटेन्डेन्ट

रूल्स तथा राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि सम्बन्धी सभी नये नियम नियमानुसार लागू होंगे।

05. **<u>राष्ट्रीयता :—</u>**

अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो अथवा उक्त नियमों के नियम 08 के अनुसार आर्हता रखता हो।

06. **<u>चरित्र एवं जाति प्रमाण—पत्रः—</u>**

आवेदक को दो उत्तरदायी व्यक्तियो द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र जो छः माह से अधिक पुराने नहीं हो, भी आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करने होंगे, जो आवेदक के रिश्तेदार न हो। अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थी को आवेदन के साथ जाति प्रमाण पत्र की सत्य प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी आवश्यक है। प्रमाण—पत्र पर प्रमाण पत्र जारी करने वाले व्यक्ति का नाम, हस्ताक्षर एवं मोहर स्पष्ट रूप से अंकित होनी चाहिए।

07. **<u>सन्तान सम्बन्धी प्रमाण पत्रः—</u>**

जिन अभ्यर्थियों के दिनांक 01.06.2002 या इसके पश्चात तीसरी सन्तान उत्पन्न हुई है, वे आवेदन करने के पात्र नहीं है। अतः समस्त विवाहित स्त्री/पुरूष संलग्न प्रारूप (अनुसूची—ए)के अनुसार घोषणा पत्र 10/— रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर नोटेरी/प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से सत्यापित करवा कर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न प्रस्तुत करें कि उनके दिनांक 01—06—2002 अथवा उसके पश्चात तीसरी सन्तान उत्पन्न नहीं हुई है।

08. **<u>विवाह पंजीयन प्रमाण पत्रः—</u>**

विवाहित स्त्री/पुरूष आवेदन पत्र में अपने पति/पत्नि के नाम का उल्लेख करेंगे तथा जिन अभ्यर्थियों का विवाह 22—5—2006 या उसके पश्चात हुआ है वे विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न प्रस्तुत करें तथा दिनांक 22—05—2006 के पूर्व विवाहित हुए अथवा अविवाहित अभ्यर्थी संलग्न निम्नांकित प्रारूप (अनुसूची—बी) में (जो भी लागू हो) 10/— रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर नोटेरी/प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगे।

09. **<u>दहेज न लेने बाबत शपत्र पत्रः—</u>**

समस्त विवाहित अभ्यर्थी (स्त्री/पुरूष) संलग्न निम्नांकित प्रारूप (अनुसूची—सी) में इस आशय का शपथ पत्र 10/— रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर नोटेरी/प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से सत्यापित करवा कर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न प्रस्तुत करें कि उन्होंने विवाह के समय कोई दहेज स्वीकार नहीं किया है।

10. **<u>एक से अधिक पत्नि/पति न होने बाबत शपथ पत्रः—</u>**

समस्त विवाहित अभ्यर्थी (स्त्री/पुरूष) संलग्न निम्नांकित प्रारूप (अनुसूची—डी) में इस आशय का शपथ पत्र 10/— रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर नोटेरी/प्रथम श्रेणी

मजिस्ट्रेट से सत्यापित करवा कर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न प्रस्तुत करें कि उनके विवाहित पत्नि/पति के अतिरिक्त कोई जीवित पत्नी/पति नहीं है।

11. **फीसः–**

अभ्यर्थी अपने आवेदन के साथ निर्धारित फीस रू.100/- का किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का डिमाण्ड ड्राफ्ट पुलिस अधीक्षक, प्रशासन एवं पीआरसी, सीआईडी (सीबी), जयपुर के नाम का, जो जयपुर में देय हो संलग्न करेंगे।

12. **आवेदन पत्र की अन्तिम तिथि :–**

आवेदन पत्र दिनांक 24.12.2012 को शाम 06 बजे तक इस कार्यालय में जरिये डाक अथवा व्यक्तिशः प्राप्त हो जाने चाहिए। उपरोक्त अन्तिम तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा तथा उन्हें निरस्त माना जावेगा।

13. सभी अभ्यर्थियों को नियोजन कार्यालय से पंजीयन प्रमाण–पत्र की सत्य प्रमाणित प्रति भी संलग्न करनी होगी।

शपथ –पत्र

शपथ पत्र 10/–के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर सत्यापित करके पेश किये जावे

अनुसूची–ए

मैं..पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री...निवासी.................. ....शपथपूर्वक बयान करता हूँ /करती हूँ कि मेरे दिनांक 01.06.2002 या इसके पश्चात तीसरी सन्तान उत्पन्न नहीं हुई है।

अनुसूची–बी

मैं..पुत्र/पुत्री/पत्नीश्री...निवासी................... ....शपथपूर्वक बयान करता हूँ /करती हूँ कि मेरा विवाह श्रीमती/श्री..निवासी.....................................से हुआ है परन्तु अनिवार्य विवाह पंजीयन लागू होने से पूर्व दिनांक............................को सम्पन्न होने के कारण पंजीकृत नहीं है।

या

मेरा विवाह श्रीमती/श्री...निवासी.. ....के साथ दिनांक ....को राजस्थान राज्य के बाहर सम्पन्न होने के कारण पंजीकृत नहीं हुआ है।

या

मैं..अविवाहित हूँ।

या

मैं...विधुर/विधवा हूँ। पत्नी/पति श्री/श्रीमती................................ ....है।

तथा

अनुसूची–सी

मैं..पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री..निवासी................. ....शपथपूर्वक बयान करता हूँ/करती हूँ कि मेरा विवाह श्रीमती/श्री............ ....निवासी......................................से हुआ है तथा मैंने विवाह के समय कोई दहेज स्वीकार नहीं किया है।

तथा

अनुसूची–डी

मैं..पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री..निवासी................................ ....शपथपूर्वक बयान करता हूँ /करती हूँ कि मेरा विवाह श्रीमती/श्री............................ ....निवासी...से हुआ है, इसके अतिरिक्त मेरे कोई जीवित पत्नी/पति नहीं है।

14. **आवेदन पत्रः**

अभ्यर्थी को सादा कागज पर संलग्न प्रारूप (**अनुसूची–ई)** के अनुसार टाईप करवा कर अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होगा जिस पर अभ्यर्थी का सत्यापित पासपोर्ट साइज का कलर फोटो चस्पा हो। यदि अभ्यर्थी वर्तमान में कहीं सेवारत हो तो उसका प्रार्थना पत्र में उल्लेख करें। राजकीय सेवारत कर्मचारी अपने विभाग के माध्यम से प्रार्थना पत्र प्रेषित करे। अपूर्ण प्रार्थना पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा और उसकी कोई सूचना अभ्यर्थी को प्रेषित नहीं की जायेगी और नाही आवेदन शुल्क वापिस किया जावेगा।। अभ्यर्थी प्रार्थना पत्र के साथ अनिवार्य रूप से निम्न दस्तावेजात की सत्य प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करे :–

1– शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्रों की प्रति।
2– जन्म तिथि प्रमाण पत्र की प्रति।
3– आरक्षण चाहने/आयु में छूट चाहने के इच्छुक अभ्यर्थी का जाति प्रमाण–पत्र।
4– विज्ञप्ति के क्रम–6 के अनुसार दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के चरित्र प्रमाण–पत्र जो 6 माह से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए।
5– विज्ञप्ति के क्रम–7 के अनुसार सन्तान सम्बन्धी घोषणा पत्र।
6– विज्ञप्ति के क्रम–8 के अनुसार विवाह पंजीयन बाबत प्रमाण पत्र/शपथ पत्र।
7– विज्ञप्ति के क्रम–9 के अनुसार दहेज न लेने बाबत शपथ पत्र।

8– विज्ञप्ति के क्रम–10 के अनुसार एक से अधिक पति/पत्नि न होने बाबत शपथ पत्र।

9– पूर्ण डाक का पता लिखा हुआ लिफाफा जिस पर पंजीकृत डाक के रू. 25/–(पच्चीस रूपये) के टिकट लगे हुए हों।

10– आवेदन शुल्क का डी.डी. जो कि पुलिस अधीक्षक, प्रशासन एवं पीआरसी, सीआईडी (सीबी), राजस्थान, जयपुर के नाम देय हो।

15. <u>साक्षात्कार :–</u>

साक्षात्कार हेतु योग्य पाये गये अभ्यर्थियों को साक्षात्कार की तिथि, समय व स्थान बाबत पंजीकृत डाक द्वारा सूचित किया जावेगा।

साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को कोई यात्रा भत्ता इस कार्यालय द्वारा नहीं दिया जायेगा। साक्षात्कार में किसी प्रकार की सिफारिश करने/कराने वाले अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा। जिन प्रमाण पत्रों की सत्य प्रतिलिपियां आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जावे वे मूल प्रमाणपत्र साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करने होंगे।

पुलिस अधीक्षक,
प्रशासन एवं पीआरसी,
सीआईडी (सीबी), राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक :– दिनांक :–

प्रतिलिपि सूचनार्थ :–

1– अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, अपराध शाखा, राजस्थान, जयपुर।

2– महानिरीक्षक पुलिस मुख्यालय, राजस्थान जयपुर।

3– जिला कलक्टर, जयपुर

4– संयुक्त निदेशक (प्रचार) सीआईडी (सीबी), जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति को कम से कम दो राज्य स्तरीय प्रमुख दैनिक हिन्दी समाचार पत्रों में शीघ्र प्रकाशित कराने की व्यवस्था करें।

5– जिला नियोजन अधिकारी, जयपुर

6– नोटिस बोर्ड, अपराध शाखा, मुख्यालय, जयपुर।

पुलिस अधीक्षक,
प्रशासन एवं पीआरसी,
सीआईडी (सीबी), राजस्थान, जयपुर।

आवेदक का नवीनतम पास पोर्ट साइज सत्यापित फोटो मय हस्ताक्षर

अनुसूची–ई

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (केनलबॉय) के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

(विज्ञप्ति क्रमांक..................................)

1.	नाम आवेदक	:–	....
2.	पिता / पति का नाम	:–	....
3.	जाति	:–	....
4.	आरक्षित वर्ग का नाम(यदि लागू हों)	:–	....
5.	स्थाई पता	:–	....
		:–	....
6.	वर्तमान पता	:–	....
		:–	....
7.	निकटतम पुलिस स्टेशन	:–	....
8.	जन्म तिथि (अंकों में)	:–	....
	(शब्दों में)	:–	....
9.	दिनांक 01.01.2013 को आयु	:–	वर्ष.................माह...................दिन............
10.	शैक्षणिक योग्यता	:–	....
11.	वर्तमान नियुक्ति यदि कोई हों पद, सेवा की अवधि एवं पदनाम	:–	....
12.	अग्रेषण अधिकारी का नाम पदनाम यदि अभ्यार्थी पूर्व में सेवारत है ।	:–	....
13.	राष्ट्रीयता	:–	....
14.	नियोजन कार्यालय का पंजीयन क्रमांक व इसकी वैधता तिथि	:–	....

स्थान :–

दिनांक :– आवेदक के हस्ताक्षर

संलग्न प्रमाण पत्रों का विवरण –

1– शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्रों की प्रति।

2– जन्म तिथि प्रमाण पत्र की प्रति।

3– आरक्षण चाहने/आयु में छूट चाहने के इच्छुक अभ्यर्थी का जाति प्रमाण–पत्र।

4– विज्ञप्ति के क्रम–6 के अनुसार दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के चरित्र प्रमाण–पत्र जो 6 माह से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए।

5– विज्ञप्ति के क्रम–7 के अनुसार सन्तान सम्बन्धी घोषणा पत्र।

6– विज्ञप्ति के क्रम–8 के अनुसार विवाह पंजीयन बाबत प्रमाण पत्र/शपथ पत्र।

7– विज्ञप्ति के क्रम–9 के अनुसार दहेज न लेने बाबत शपथ पत्र।

8– विज्ञप्ति के क्रम–10 के अनुसार एक से अधिक पति/पत्नि न होने बाबत शपथ पत्र।

7– पूर्ण डाक का पता लिखा हुआ लिफाफा जिस पर पंजीकृत डाक के रू. 25/–(पच्चीस रूपये) के टिकट लगे हुए हैं।

8– आवेदन शुल्क का डी.डी.